डॉ. दामोदर पांडा आदि

बनाम

ओडिशा राज्य, आदि

16 जुलाई, 1990

[रंगनाथ मिश्रा और कुलदीप सिंह, न्यायाधिपतिगण]

अंतर-राज्य प्रवासी श्रमिक (रोजगार और सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1979: धारा 20

अधिनियम के प्रावधान - की क्रियान्विति - उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देश - प्रवासी श्रमिको के मूल राज्य के अधिकारी - अधिनियम के प्रवर्तन के लिये प्राप्तकर्ता राज्य की सीमा के भीतर पूछताछ कर सकते हैं

इन याचिकाओ मे इस सवाल पर कि अंतर-राज्य प्रवासी कामगार (रोजगार और सेवा की स्थिति का विनियमन) अधिनियम, 1979 के प्रावधानों को कैसे लागू किया जा सकता है।

रिट याचिकाओं का निस्तारण करते हुए, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया :

1. अंतर-राज्यीय प्रवासी कामगार (रोजगार और सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1979 संविधान के प्रावधानों और अंतर-राष्ट्रीय समझौतों में दायित्व को पूरा करने के लिए एक लाभकारी कानून है, जिसमें भारत एक पक्षकार है। प्राप्तकर्ता राज्य में प्रवासीश्रमिक के रूप में काम करने वाले मूल राज्य के व्यक्तियो के संबंध में मूल राज्य के अधिकारियो को प्राप्तकर्ता राज्य में उचित पूछताछ करने की अनुमति नहीं देने का कोई वेध औचित्य नहीं है। [391 डी-ई]

2. अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए भारत में प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश प्रवासी श्रमिको के मूल राज्यो के अधिकारियों को कानून लागू करने के लिये प्राप्तकर्ता राज्यो की सीमा के भीतर उचित पूछताछ करने की अनुमति देने के लिये बाध्य होंगे और कोई भी प्राप्तकर्ता राज्य ऐसी प्रक्रिया में कोई प्रतिबंध या बाधा नहीं डालेगा। [391 जी]

मूल क्षेत्राधिकार: रिट याचिका (सिविल) सं. 511/1988

में

रिट याचिका (सिविल) संख्या 975/1988

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत)

के. वी. श्रीकुमार (एन. पी.), याचिकाकर्ताओं के लिए।

वी. सी. महाजन, ए. के. पांडा, सुश्री सी. के. सुचरित और सुश्री ए. सुभाशिनी, प्रतिवादीगणो के लिये।

न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश दिया -

इस रिट याचिका में विचार के लिए उत्पन्न होने वाले मामलों में से एक यह है कि अंतर-राज्य प्रवासी कामगार (रोजगार और सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1979 और विशेष रूप से इसकी धारा 20 के प्रावधानों को कैसे लागू किया जा सकता है। श्रम मंत्रालय मे भारत संघ द्वारा दायर शपथपत्र में कहा गया है कि अधिनियम की धारा 20 (3) में निहित योजना को देखते हुए मूल राज्य का अधिकारी प्राप्तकर्ता राज्य के भीतर पूछताछ कर सकता है बशर्ते प्राप्तकर्ता राजय उस राज्य के भीतर काम करने वाले मूल राज्य के ऐसे अधिकारियो से सहमत है, कानून उचित तरीके से काम करने योग्य नहीं बन पाया है। यह संविधान के प्रावधानों और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों में दायित्व को संतुष्ट करने के लिए एक लाभकारी कानून है, जिसमें भारत एक पक्ष है।

हमें नहीं लगता कि प्राप्तकर्ता राज्य में प्रवासी श्रमिक के रूप में काम करने वाले मूल राज्य मे उचित पूछताद करने की अनुमति नहीं देने का कोई वैध औचित्य हो सकता है। हमे नहीं लगता कि धारा 20 (3) को लागू करने और उसमें निहित विधायी इरादे को प्रभावी करने के लिए आदेश देने से पहले अन्य राज्यों को सुनने की कोई आवश्यकता है।

उड़ीसा राज्य की ओर से उपस्थित श्री पांडा ने इस बात पर सहमत हुये है कि उड़ीसा राज्य को किसी भी मूल राज्य के अधिकारियों द्वारा उड़ीसा के भीतर आवश्यक पूछताछ करने पर कोई आपत्ति नहीं है, जबकि वह एक प्राप्तकर्ता राज्य है। इसलिए हम यह निर्देश देंगे कि ऊपर निर्दिष्ट 1979 के अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए भारत में प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश प्रवासी श्रमिकों के मूल राज्यों के अधिकारियों को प्राप्तकर्ता राज्य की सीमा के भीतर उचित पूछताछ करने की अनुमति देने के लिए बाध्य होंगे, कानून को लागू करने के लिये राज्य और कोई भी प्राप्तकर्ता राज्य ऐसी प्रक्रिया में कोई प्रतिबंध या बाधा नहीं डालेगा। इस आदेश की प्रति प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य सचिव को अनुपालन के लिए भेजी जाएगी।

हम इस तथ्य से परिचित है कि यह आदेश उडीस और केंद्रशासित प्रदेशो के अतिरिक्त अन्य राज्यो को सुने बिना बनाया गया है। किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की राय की स्थिति में कि निर्देश को संशोधित किया जाना चाहिए, आदेश के संशोधन के लिए आवेदन करने की स्वतंत्रता दी जाती है, लेकिन जब तक इसे संशोधित नहीं किया जाता है, तब तक यह लागू रहेगा। रिट याचिकाओं का निस्तारण इस आदेश के साथ किया जाता है। कोई लागत नहीं।

याचिकाओं का निस्तारण किया गया।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

अस्वीकरण - इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।